तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज ओमप्रकाश परिहार बनाम लो.सू.अ. (अपर कलक्टर प्रथम जोधपुर) सू.अ.अ. अपील संख्या 115/2019	नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
23.07.19	पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी ओमप्रकाश परिहार पता 16/39, चौपासनी हाउसिंग बोर्ड, जोधपुर ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक 30.04.19 में उसके द्वारा (1) लोकसभा आम चुनाव 2019 में राज्य निर्वाचन आयोग जयपुर से आपके कार्यालय को श्री सूरजभानसिंह मुख्य अभियन्ता भू–जल विभाग जोधपुर के विरूद्ध प्राप्त शिकायत पर संबंधित प्रभारी अधिकारी के द्वारा की गई सम्पूर्ण जांच की कार्यालय टिप्पणी /नोटशीट की प्रमाणित प्रति व अन्य बिन्दु, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (अपर कलक्टर प्रथम जोधपुर) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (अपर कलक्टर प्रथम जोधपुर) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। अपीलार्थी अनुपस्थित। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो.(अपर कलक्टर प्रथम जोधपुर) से आदिनांक तक तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई अतः अपील स्वीकार की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी (अपर कलक्टर प्रथम जोधपुर) को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना रिकॉर्ड पर उपलब्ध होने पर प्रार्थी को 15 दिवस में सूचना उपलब्ध करावे, अन्यथा सूचना नहीं दिये जाने के कारणों से प्रार्थी को अवगत कराया जाय। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया	